

शहरी शासन में सुधार

यह एडिटरियल 17/07/2024 को 'हडिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "Why our large cities need metropolitan governance" लेख पर आधारित है। इसमें तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के बीच भारत के सबसे बड़े शहरों को संचालित करने में वदियमान चुनौतियों पर वचार कया गया है। लेख में इस पक्ष को भी उजागर कया गया है कएक सुसंगत महानगरीय शासन ढाँचे की कमी से समूहन बचत (agglomeration economies) का लाभ उठाने और पर्यावरणीय संवहनीयता को संबोधित करने में बाधा आती है।

प्रलमिस के लयि:

[शहरीकरण, शहरी शासन, सतत् विकास, 74वाँ संवधान संशोधन अधनियम, 1992, एमपी/एमएलए स्थानीय कषेत्र विकास नधि, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम \(NCAP\), वर्ष 2022 तक सभी के लयि आवास।](#)

मेन्स के लयि:

संघवाद और सामाजिक कल्याण को मज़बूत करने में शहरी शासन का महत्त्व

पछिले तीन दशकों में भारत एक गतहीन अर्थव्यवस्था से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस वृद्धि के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण शहरीकरण भी हुआ है। वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग (जनसंख्या का 40%) शहरी कषेत्रों में रह रहे होंगे, जो वर्ष 2011 में 31% की तुलना में बड़ी आबादी होगी। इसके साथ ही, शहरी कषेत्रों से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान प्राप्त होने का अनुमान है।

अवसंरचनात्मक विकास के प्रबंधन के लयि उचित शासन व्यवस्था आवश्यक है, ताक सडक, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी महत्त्वपूर्ण प्रणालयों का रखरखाव सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, प्रभावी शहरी शासन संवहनीयता को बढ़ावा देता है और प्रदूषण से निपटने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लयि पर्यावरण-अनुकूल अभ्यासों को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, शहरों को अकुशल प्रशासन, अपर्याप्त अवसंरचना और अपर्याप्त सेवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हालाँकि इस दशा में सकारात्मक बदलाव के संकेत भी उभर रहे हैं।

शहरी शासन (Urban Governance) क्या है?

परचय:

- शहरी शासन से तात्पर्य उन प्रणालयों, प्रक्रयों और अभ्यासों से है, जनिके माध्यम से शहरों का प्रबंधन एवं विकास कया जाता है।
 - इसमें नरिणय-नरिमाण ढाँचे और संस्थान शामिल हैं जो शहरी नयोजन, सेवा वतिरण शहरी कषेत्रों के समग्र प्रशासन का मार्गदर्शन करते हैं।
 - शहर नविसरियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, शहरी प्रत्यासथता को बढ़ाने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लयि प्रभावशील शहरी प्रशासन महत्त्वपूर्ण है।
- शहरी शासन के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:
 - हतिधारक: इसमें स्थानीय सरकारें, नागरिक, व्यवसाय और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) शामिल हैं।
 - नीतयों और वनियमन: इसमें भूमि उपयोग, कषेत्रीकरण, आवास, परिवहन और पर्यावरण प्रबंधन को नयितरति करने वाले कानून, नीतयों एवं वनियमन शामिल हैं।
 - सेवा वतिरण: इसमें जल आपूर्ति, अपशषिट प्रबंधन, परिवहन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन शामिल है।
 - सहभागी शासन: यह पारदर्शता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लयि नरिणय लेने की प्रक्रयों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
 - संवहनीयता: यह सामाजिक समता और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में शहरी शासन की वर्तमान व्यवस्था क्या है?

- **74वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा संवधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा गया और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में नगर नगिमों सहित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के गठन का उपबंध किया गया।
 - इसने संवधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक और एक नई बारहवीं अनुसूची का योग किया।
 - इसने राज्यों को शहरी नयोजन, भूमि उपयोग का वनियमन, जलापूर्ति और मलनि बस्ती उन्नयन सहित 18 कार्यों की ज़िम्मेदारी ULBs को सौंपने का अधिकार दिया।
- **शहरी स्थानीय सरकार में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं:**
 - **नगर नगिम (Municipal Corporation):** नगर नगिम आमतौर पर बड़े शहरों, जैसे बंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में पाए जाते हैं।
 - **नगरपालिका (Municipality):** छोटे शहरों के लिये नगरपालिका का प्रावधान है, जनिहें प्रायः नगर परिषद, नगर समिति, नगर बोर्ड जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है।
 - **अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee):** तेज़ी से विकास कर रहे क़स्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित क़स्बों के लिये अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ स्थापित की जाती हैं।
 - **नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee):** नगर क्षेत्र समिति छोटे शहरों में पाई जाती है जो न्यूनतम प्राधिकार रखती है।
 - **छावनी बोर्ड (Cantonment Board):** यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया जाता है।
 - **टाउनशिप (Township):** यह शहरी सरकार का एक अन्य रूप है जो किसी औद्योगिक संयंत्र के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करता है।
 - **पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust):** ये बंदरगाह के प्रबंधन एवं देखभाल के लिये तटीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं।
 - **वशिष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency):** ये एजेंसियाँ नगर नगिमों या नगरपालिकाओं से संबंधित नरिदषिट गतिविधियों या वशिषिट कार्यों का कार्यभार संभालती हैं।

शहरी प्रशासन में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM):**
 - यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह 100 शहरों को आवश्यक अवसंरचना और स्वच्छ एवं संवहनीय वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, ताकि 'स्मार्ट सोल्यूशंस' के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके।
 - इसका उद्देश्य सतत एवं समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **प्रदूषण नियंत्रण के लिये धन का आवंटन:**
 - दिसंबर 2023 में ऐसे 131 शहरों (मलियन प्लस सिटीज़/नॉन-अटेनमेंट सिटीज़) की पहचान की गई जो लगातार पाँच वर्षों से राष्ट्रीय परविशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पार कर गए हैं और तदनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये इन शहरों के लिये धन आवंटन के साथ-साथ शहर वशिषिट स्वच्छ वायु कार्ययोजनाएँ (City Specific Clean Air Action Plans) तैयार की गई हैं।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY):**
 - यह सरकार के 'वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास अभियान' के अंतर्गत आता है, जिसका क्रयिानवयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
 - यह EMI के माध्यम से पुनर्भुगतान के दौरान गृह ऋण की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान कर शहरी गरीबों के लिये गृह ऋण को वहनीय बनाता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U):**
 - इसे वर्ष 2014 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लॉन्च किया गया था।
- **ऑनलाइन शासन वतिरण के लिये शहरी मंच/उपयोग प्लेटफॉर्म (Urban Platform for Delivery of Online Governance- UPYOG):**
 - यह ऑनलाइन माध्यम से नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करने के लिये सृजित राष्ट्रीय संदर्भ मंच है, जोनेशनल अरबन इनोवेशन स्टैक (National Urban Innovation Stack- NUIS) सिद्धांतों का उपयोग करता है।
- **अमृत योजना:**
 - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन/अमृत (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर में जल की सुनिश्चिति आपूर्ति के साथ नल और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध हो।

शहरी शासन में वदियमान चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **स्वायत्तता का अभाव:**
 - शहरी शासन भारतीय संवधान के तहत राज्य सूची का वषिय है। इसलिये, ULBs का प्रशासनिक ढाँचा और वनियमन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
 - इसके अलावा, वशिषज्जों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के पास शहर प्रबंधन के मामले में स्वायत्तता का अभाव है और शहर स्तर के कई कार्यों का प्रबंधन अरद्ध-सरकारी संस्थाओं (राज्य द्वारा प्रबंधित और उसके प्रती जवाबदेह) द्वारा किया जाता है।
- **वत्तीय संसाधनों का ह्रास:**
 - **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** के अनुसार, भारत में संपत्तिकर संग्रह दर (संपत्तिकर और जीडीपी का अनुपात) वशि्व

में न्यूनतम है।

- 221 नगर नगियों के RBI सर्वेक्षण (2020-21) से पता चला है कि इनमें से 70% से अधिक नगियों के राजस्व में गरिवट आई है, जबकि उनके व्यय में लगभग 71.2% की वृद्धि हुई।
- RBI की रिपोर्ट में संपत्तिकर के सीमति कवरेज तथा **नगर नगिण के राजस्व** को बढ़ाने में इसकी वफिलता पर भी प्रकाश डाला गया है।
- इन नकियों को करधान संबंधी वभिनिन शक्तियाँ भी हस्तांतरित नहीं की गई हैं, जिसके कारण नगर नगियों की वत्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।
- जबकि उनके राजस्व का मुख्य स्रोत है, इससे प्राप्त आय उनकी जमिंदारियों के सापेक्ष अपर्याप्त है।

■ एजेंसियों की बहुलता:

- प्रत्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण के तहत विशेष प्रयोजन एजेंसियों का नरिमाण, जहाँ वे शहरी स्थानीय सरकारों के प्रतजिवाबदेह नहीं हैं, शासन को जटलि बनाता है।
- **नगर नकियों** द्वारा इन एजेंसियों पर नयितरण रखे बिना उन्हें वत्तिपोषण प्रदान करना है, जैसा कि राज्य परविहन नगिण और जल आपूर्ति वभिण जैसी संस्थाओं के मामले में देखा गया है।
- इसके अलावा, समानांतर एजेंसियाँ और योजनाएँ, जैसे **कसांसद/वधायक स्थानीय क्षेत्र विकास नधि, स्थानीय सरकारों की वत्तीय स्वायत्तता** को कमजोर करती हैं, इच्छति संघीय ढाँचे को वकृत करती हैं और शहरी शासन एवं सेवा वत्तिरण को जटलि बनाती हैं।

■ अनयोजति शहरीकरण :

- उपयुक्त योजना-नरिमाण के बिना, **नगरपालिका सेवाएँ गुणवत्ता** और मात्रा दोनों के मामले में जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्षरत नज़र आती हैं।
- स्थानीय नकियों की प्रशासनिक क्षमता सीमति है, जिसके कारण भूमिके **अकुशल उपयोग, अपर्याप्त आवास विकास, मलनि बस्तियों का बढ़ना, अनाधिकृत कॉलोनियों की स्थापना और जलापूर्ति, सीवेज, बजिली एवं यातायात** जैसी सुवधियों की अपर्याप्तता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
- उदाहरण के लयि, **दिल्ली में 1,799 अनाधिकृत कॉलोनियाँ** हैं, जनिमें से 1,638 में पानी की पाइपलाइनें बछिआई जा चुकी हैं और जल की आपूर्ति की जा रही है, जबकि 48 अन्य में कार्य काम चल रहा है या आरंभ होने वाला है।

■ पर्यावरण संबंधी चत्ताएँ:

- शहरों में प्रदूषण का **उच्च स्तर और अकुशल अपशषिट प्रबंधन नवासियों** के लयि प्रमुख समस्याओं में से एक है।
 - शहरी भारत में प्रतविर्ष लगभग 42.0 मलयिन टन म्यूनसिपिल ठोस अपशषिट उत्पन्न होता है, जो लगभग 1.15 लाख मीटरिक टन प्रतदिनि (TPD) है, जसिमें से 72% बंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे 423 टयिर-1 शहरों में उत्पन्न होता है।
 - हाल के एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के दायरे में शामिल 45% शहरों में वर्ष 2024 के गरीषमकाल में PM2.5 में वृद्धि देखी गई।
- शहरी पर्यावरण में गरिवट से सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जसिसे जीवन की समग्र गुणवत्ता कम हो जाती है।

■ नमिन सार्वजनिक भागीदारी:

- अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता और शैक्षिक स्तर के बावजूद, शहर के नवासी प्रायः शहरी सरकारी नकियों के कार्यकरण में सीमति रुचि रखते हैं।
- इसके अलावा, अपशषिट प्रबंधन और प्रदूषण नयितरण में लोगों की भागीदारी का अभाव है।

आगे की राह:

■ शहरी शासन के लयि तीन F's:

- नगर सरकारों को कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहयि और **यहतीन F's के साथ होना चाहयि; अर्थात नगर सरकारों को कार्य, वत्ति और कार्यकारियों (Functions, Finances and Functionaries)** का हस्तांतरण कयि जाना।
- उदाहरण के लयि, केरल के जन नयिोजन मॉडल (People's Planning model) में **राज्य के योजना बजट का 40%** स्थानीय नकियों के लयि (प्रत्यक्ष रूप से) था, जहाँ योजना-नरिमाण आदि महत्त्वपूर्ण वषियों का हस्तांतरण कयि गया, जसिने शहरी शासन के लयि एक नए आयाम का मार्ग प्रशस्त कयि।

■ अवसंरचना में नविश:

- वशि्व बैंक के अनुसार, भारत को अवसंरचना के लयि **सालाना औसतन 55 बलयिन डॉलर (जीडीपी का 1.2%)** नविश करने की आवश्यकता है।
- केंद्र और राज्य सरकारें वर्तमान में **शहरी परयोजनाओं के 72% भाग का वत्तिपोषण** करती हैं, जबकि वाणज्यिक वत्तिपोषण केवल 5% है। शहरी अवसंरचना के वत्तिपोषण में नजी पंजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहयि।

■ नगर नकिय के राजस्व को सुदृढ़ करना:

- स्कैंडिनेवियाई देश नागरिकों से एकत्रित आयकर का एक बड़ा हसिसा शहरी सरकारों को सौंपकर शहरी नयिोजन एवं परविहन से लेकर अपशषिट प्रबंधन तक उनके कार्यों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं।
- वत्ति आयोग ने नगर नकियों की वत्तीय स्थिति में सुधार के लयि संपत्तिकर राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता को चहिनति कयि है।
- उदाहरण के लयि, **12वें वत्ति आयोग ने संपत्तिकर प्रशासन** में सुधार के लयि **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डजिटलीकरण** के उपयोग को प्रोत्साहित कयि।

■ रणनीतिक संपत्तिकर प्रबंधन:

- स्थानीय नकियों के पास प्रायः अपर्युक्त संपत्तियाँ होती हैं। इन्हें **सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से वाणज्यिक स्थान, बाज़ार या पार्कगि स्थल वकिसति करने के लयि मुद्रीकृत कयि जा सकता है।
- उदाहरण के लयि, वशि्व बैंक ने स्थानीय सरकारों की अवसंरचना विकास के लयि वत्तिपोषण और वशिषज्जता तक पहुँच के लयि एक साधन

के रूप में PPP की अनुशंसा की है।

• **14वें वित्त आयोग** ने अनुशंसा की थी कि नगर निकायों को खाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

■ **शहरी स्थानीय निकायों के लिये क्षमता निर्माण:**

- क्षमता निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **मूल्य-वर्द्धति निर्देश शामिल** होते हैं। इसमें संस्थागत क्षमता निर्माण के साथ-साथ मानवीय क्षमता निर्माण भी शामिल है।
- शहरी स्थानीय निकायों को अपनी क्षमता विकसित करने तथा ऋण योग्य परियोजनाओं के क्रयान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

■ **म्यूनिसिपल बॉण्ड और सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE):**

- म्यूनिसिपल बॉण्ड एक ऋण प्रतभूत है जो किसी राज्य, नगर निकाय या काउंटी द्वारा अपने पूंजीगत व्ययों के वित्तपोषण के लिये (जिसमें राजमार्गों, पुलों या स्कूलों का निर्माण करना शामिल है) जारी की जाती है।
- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)** सामाजिक उद्यमों को पूंजी जुटाने की अनुमति देता है, जो लाभ सृजन के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **म्यूनिसिपल बॉण्ड बाजार** और SSE का विकास करने से उन पहलों की ओर नविश आकर्षित हो सकता है जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय निकाय के लिये राजस्व भी उत्पन्न करेंगे।

■ **रूपांतरण के लिये व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता:**

- शहरों को शासन के महत्त्वपूर्ण केंद्रों के रूप में देखा जाना चाहिये, जहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिये, **अपशिष्ट प्रबंधन का इंदौर मॉडल, जो एक विकेंद्रीकृत और लोगों द्वारा संचालित मॉडल है, महत्त्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।**

अभ्यास प्रश्न: भारत में सतत शहरी विकास की प्राप्ति में शहरी शासन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। समावेशी विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता के लिये शहरी शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने की राह की प्रमुख चुनौतियों और आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, नमिनलखिति में से कसिका प्रावधान करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समितियों का गठन।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएंगे।
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न: तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की वविचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पछिले आयोगों से भिन्न हैं। [200 शब्द] (2013)

प्रश्न: क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहष्कृत कर देती हैं? (2014)